प्रेषक,

आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ एवं अध्यक्ष,
मण्डलीय समिति,अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीतिविहार,नई दिल्ली।

पत्रांक:एस0टी0, एन0ओ0सी0 / 1622-29 / 2013–14 दिनॉक: 27-06-2013

विषय: अलीगढ़ मण्डल में स्थित माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1916(1) / 15–7–09–1(299) / 2007 दिनॉक 14–07–2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनॉक: 26–06–2013 मे लिये गये निर्णय के अनुसार दिल्ली पब्लिक स्कूल सिविल लाइन ताला नगरी अलीगढ़ को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र में अंकित निम्न प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नही है।

प्रतिबन्ध–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक,सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिशद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजूकेशन नई दिल्ली / कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है,तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भॉति अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें,संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओ मे रखा जायेगा।
9. विद्यालय मे अग्नि शमन यन्त्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे तथा विद्यालय की भूमि भवन यदि विद्यालय के नाम न हो तो विद्यालय के नाम करायें।
10. नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाये।
11. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
CIVIL LINES, ALIGARH

MANAGER
DELHI PUBLIC SCHOOL
CIVIL LINES, ALIGARH

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(टी० वेंकटेश)
मण्डलायुक्त / अध्यक्ष,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ

कार्यालय-- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,अलीगढ़

पृष्ठांकन संख्या: एस०टी० / एन०ओ०सी० /1822-29/ 2013–14 तद् दिनॉक
प्रतिलिपि– निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–सचिव,(माध्यमिक शिक्षा) उ0प्र0शासन,शिक्षा–7 अनुभाग लखनऊ।
2–मण्डलायुक्त,अलीगढ़।
3–शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,18 पार्क रोड लखनऊ।
4–जिलाधिकारी अलीगढ़।
5–जिला विधालय निरीक्षक, अलीगढ।
6–प्रबन्धक,सम्बन्धित विधालय।
7–गार्ड फाइल हेतु ।

डा0 (अंजना गोयल)
सचिव / सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
CIVIL LINES, ALIGARH

MANAGER
DELHI PUBLIC SCHOOL
CIVIL LINES, ALIGARH